

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली

कार्यालय महानिदेशक ( कारागार ) : दिल्ली

कारागार मुख्यालय : नियर लाजवन्ती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री रिषीकेश मीणा  
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10161-डी दिनांक 06/04/2022  
(CJAIL/R/2022/60057)  
अपील कम्प संख्या : 019 दिनांक 14/03/2023  
(CJAIL/A/2023/60003)

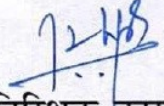
आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-प्रथम ( कारागार मुख्यालय ) द्वारा प्रदान किये गये ज्ञापन दिनांक 04/05/2022 और प्रथम अपील का अवलोकन किया।

अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने संबंधित जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक से जेल प्रहरी पद के संबंध में सूचना के विमोचन का आग्रह किया है।

दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 19(1) में विनिर्दिष्ट समय सीमा (30 दिन) के बीत जाने के लगभग 10 माह पश्चात् प्रथम अपील दायर की है। अतः वर्तमान में दायर प्रथम अपील अनुरक्षणीय योग्य नहीं है।

तदनुसार प्रथम अपील निरस्त की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

  
उप महानिरीक्षक कारागार/  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री रिषीकेश मीणा

F10(3476489)/ID-10161-D/CJ/Legal/2023/19778 Dated: 24.03.2023

आवश्यक सूचना के लिए प्रतिलिपि:-

1. जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक(प्रथम)-कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.